न्यायालय सहायक कलक्टर, (Fast Track) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 388/2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 रूपाराम 2 सुखाराम 3 प्रभुराम 4 वगताराम पिसरान दौलाराम जाति जाट निवासी किसनोणियों का तला (उण्डखा) तहसील व जिला बाड़मेर।		1 दौलाराम पुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी किसनोणियों का तला (उण्डखा) 2 शान्ती पुत्री दौलाराम पत्नी दमाराम जाति जाट निवासी कपूरडी तहसील व जिला बाड़मेर 3 नवली पुत्री दौलाराम पत्नी रूपाराम जाति जाट निवासी लखवारा तहसील चौहटन जिला बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री वीरमाराम चौधरी वकील वादीगण।

2. श्री कुम्भाराम चौधरी वकील प्रतिवादीगण।

निर्णय

दिनांक 18/03/20

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 स्वर्गीय ताजाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 02 व 03, प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वारिसान है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा पूनड़ों की बस्ती पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 151/86 रकबा 50.17 बीघा भूमि एवं मौजा किसनोणियों का तला (उण्डखा) पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 586/123 रकबा 36. 05, खसरा संख्या 588/123 रकबा 55.06 बीघा भूमि आई हुई है, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का कब्जा काश्त है। उप वर्णित भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा निहित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 02 व 03 प्रतिवादी संख्या 01 दौलाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/7–1/7 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है। उक्त खसरान की भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा नीहित होने के कारण वादीगण प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब मय राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। उक्त पैतृक भूमि में वाद में अंकित हिस्सा अनुसार वादीगण का हिस्सा है, जिसे घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादीगण रूपाराम द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टी की, जिसे सामिल मिसल किया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 दौलाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा बहस के

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

Scanned with CamScanner

दौरान अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है तथा वादीगण, तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03, प्रतिवादी संख्या 01 दौलाराम के जायन्दा पुत्र–पुत्रियां होने के नाते वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है, जिसे सहखातेदार घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज नामान्तकरण संख्या 234 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा पूनड़ों की बस्ती पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 151/86 रकबा 50.17 बीघा भूमि एवं मौजा किसनोणियों का तला (उण्डखा) पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 586/123 रकबा 36.05, खसरा संख्या 588/123 रकबा 55.06 बीघा भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को प्रतिवादी दौलाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी 01 से 03 प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 18/03/20 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

Scanned with CamScanner

प्रपत्र – 6

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.)

अनवान

अन्तिम डिक्री

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 रूपाराम 2 सुखाराम 3 प्रभुराम 4 भगताराम पिसरान दौलाराम जाति जाट निवासी किसनोणियों का तला (उण्डखा) तहसील व जिला बाड़मेर।		1 दौलाराम पुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी किसनोणियों का तला (उण्डखा) 2 भान्नी पुत्री दौलाराम पत्नी दमाराम जाति जाट निवासी कपूरडी तहसील व जिला बाड़मेर 3 नवली पुत्री दौलाराम पत्नी रूपाराम जाति जाट निवासी लखवारा तहसील चौहटन जिला बाड़मेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 388 / 2019

निर्णय दिनांक :– 18/03/20

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18/03/20 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा पूनड़ों की बस्ती पटवार क्षैत्र उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 151 / 86 रकबा 50.17 बीघा भूमि एवं मौजा किसनोणियों का तला (उण्डखा) पटवार क्षैत्र उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 586 / 123 रकबा 36.05, खसरा संख्या 588 / 123 रकबा 55.06 बीघा भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को प्रतिवादी दौलाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी 01 से 03 प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। अतः **तहसीलदार बाड़मेर निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 18/03/20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक)
बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned with CamScanner